पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 271/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 31.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 31.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01-थाना देवगांव: 1.2 किलोग्राम गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा मादक पदार्थो की तस्करी व बेचने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.08.2024 को उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी चौकी प्रभारी लालगंज आजमगढ़ मय हमराह द्वारा मिर्जाआदमपुर पुल से अभियुक्त अरविन्द मौर्या पुत्र रामदुलार निवासी कलन्दरपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजगमढ़ उम्र 42 वर्ष को 1.2 किलोग्राम गांजा के साथ समय करीब 09:05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 318/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अमित कुमार त्रिपाठी, का0 कमल चौरसिया चौकी लालगंज थाना देवगांव आजमगढ़।

02-थाना मेंहनाजपुर: वाहन चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय गैंग के 03 सदस्य गिरफ्तार; अवैध तमंचा-कारतूस, व चोरी का

01 जनरेटर, 01 ई-रिक्शा व 01 मोटर साइकिल बरामद।

पूर्व की घटना-

➡ दिनांक 30.04.2024 को वादी मुकदमा मो0 आरीफ S/O मो0 रिजवान निवासी-कटघर लालगंज थाना-देवगाँव जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी अपने ई0रिक्शा (नंबर UP50ET1457) से भाड़ा लेकर वापस जा रहा था कि रास्ते मे वाहन खड़ाकर शौच कि लिए चला गया वापस आया तो देखा कि वादी का ई रिक्शा किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया है जिसकी डिग्गी में 1500/रुपये तथा 01 मोबाईल फोन था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 65/2024 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 05.05.2024 को वादी मुकदमा विनोद कुमार तिवारी पुत्र स्व0 वृजविहारी तिवारी ग्राम-मेंहनाजपुर थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया कि वादी की मोटर साइकिल मेंहनाजपुर HP गैस एजेन्सी के सामने से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 69/2024 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➡ दिनांक 27.08.2024 को वादी मुकदमा हिमांशु सिंह पुत्र श्री मेहन्द्र सिंह निवासी ग्रा0 अष्ठभुजी कालोनी लंका गाजीपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दिया गया कि वादी का ईट भट्ठा ग्राम नरायनपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ मे है जो बरसात के मौसम में बन्द था। दिनांक 27.08.2024 को वादी के भट्ठे से 9 K.g का जनरेट (भारत शक्ति) किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 143 /2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ द्वारा अपराध के रोकथाम के मद्देनजर चलाये जा रहे अभियान क्रम में , आज दिनांक 30.08.2024 को थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह मय हमराह द्वारा बन्द ढाबा के पास से अभियुक्त 1- अच्छेलाल विश्वकर्मा पुत्र फूलचन्द्र विश्वकर्मा उम्र करीब 48 वर्ष निवासी ग्राम नरायनपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ, 2- विनोद विश्वकर्मा पुत्र अर्जुन विश्वकर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी चांदेपुर थाना चन्दवक जनपद जौनपुर, तथा अभियुक्त 3- सचिन विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी चांदेपुर थाना चन्दवक जनपद जौनपुर को 01 तमंचा व 03 जन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। अभियुक्तो के पास से 01 जनरेटर , 01 ई-रिक्शा, 01 मोटरसाईकिल (बजाज सीटी) बरामद हुआ जिसके आधार पर समय करीब 22.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 145/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि उनका 01 गैंग है जिसके सदस्य मिलकर जनपद आजमगढ़ व अन्य आसपास के जनपदों में घुम फिर कर वाहनों की चोरी करते है।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0सं0 145/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

अच्छेलाल विश्वकर्मा पुत्र फूलचन्द्र विश्वकर्मा

1. मु0अ0सं0 65/2024 धारा 379 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमढ़
2. मु0अ0सं0 69/2024 धारा 379 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 143 /2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

सचिन विश्वकर्मा पुत्र विनोद विश्वकर्मा

1.मु0अ0सं0 145/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2.मु0अ0सं0 65/2024 धारा 379 भादवि थाना मेहनाजपुर जनपद आजमढ़
3.मु0अ0सं0 143 /2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

विनोद विश्वकर्मा पुत्र अर्जुन विश्वकर्मा

1.मु0अ0सं0 143 /2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी- 01 तमंचा, 03 जिन्दा कारतूस .32 बोर, 01 जनरेटर , 01 ई-रिक्शा, 01 मोटरसाईकिल (बजाज सीटी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष हीरेन्द्र प्रताप सिंह, उ0नि0 आकाश कुमार, हे0का0 धर्मेन्द्र यादव, हे0का0 अनिल कुमार, का0 घनश्याम यादव, म0का0 सरोज यादव थाना मेहनाजपुर, आजमगढ़।

03-थाना कप्तानगंज: हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार अवैध तमंचा कारतूस व मोटर साइकिल बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 25.08.2024 को वादी मुकदमा हरिराम यादव पुत्र जयकरन यादव निवासी ग्राम हरैया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि दिनांक 25.08.2024 को वादी का भाई सुरेश यादव समय करीब 03.45 बजे कोइनहा बाजार से घरेलु समान व सब्जी लेकर घर आ रहे था को मोटर साईकिल सवार अभियुक्त 1. चन्द्रभान यादव पुत्र दशरथ यादव, 2- भोला पुत्र अवधेश व 3- शिवानन्द पुत्र अवधेश ने वादी के भाई को रूकवा कर फायर कर दिया जिससे वादी का भाई घायल हो गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 268/24 धारा 3(5), 109, 352 BNS बनाम चन्द्रभान यादव, भोला, शिवानन्द के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 अजय कुमार द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण- पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 31.08.2024 को उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त भोला यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी ग्राम हरैया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को हेतुगंज-बड़सरा खालसा मार्ग पुलियाँ से समय करीब 09:10 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 मोटर साइकिल, 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/24 धारा 137(2)/87 BNS पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अभियुक्त की मां को पूछता विपक्षियो द्वारा मारपीट गया था जिस कारण उसने सुरेश यादव के उपर गोली चलायी थी।

आपराधिक इतिहास-

1-मु.अ.सं.- 426/2008 धारा 379 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

2- मु0अ0सं0- 268/24 धारा 3(5), 109, 352 BNS थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

3-मु0अ0सं0 246/24 धारा 137(2)/87 BNS थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 मोटर साईकिल, व 01 अवैध तमंचा , 01 जिन्दा कारतूस, 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अजय कुमार, आरक्षी अखिलेश कुमार, आरक्षी जगभान पाल, आरक्षी साजिद अली, आरक्षी संदीप दुबे थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।